[Shri Suraj Bhan]

atrocities have been in the list of scheduled castes and scheduled tribes and are for long usurping the rights and concessions of these downtrodden communities in several states.

Keeping in view the above facts, a Joint Committee of both the Houses of the Parliament was constituted in the year 1978 for revision of the list of scheduled castes and scheduled tribes in all States and Union territories. The said committee had completed about 3/4 of its work. It had to submit its report in the winter session of Parliament in 1979, but it could not do so because of early dissolution of Lok Sabha in the year 1979.

Being former Chairman of the said Committee I can say without any fear of contradiction that about one crore real scheduled castes and scheduled tribes have not been included in the list of scheduled caste and scheduled tribes. I, therefore, appeal to the House and the Home Minister that in order to undo the prolonged injustice done to these poor people, a fresh Joint Committee may please be constituted for revision of the said lists with direction to utilise the findings of the previous Committee and submit its report in the 1st week of monsoon Session of the Parliament in the year 1981.

(viii) MODERNISATION OF FETILISER FACTORY RUN BY FERTILISER CORPORATION OF INDIA AT GORAKHPUR.

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : सभापति महोदय, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा स्थापित गोरखपुर में खाद के कारखाने के नवीनीकरण के सम्बन्ध में निम्न निवेदन है।

यह खाद का कारखाना गोरखपुर में काफी दिनों से बना हुआ है और कार्य कर रहा है। किन्तु इस समय जबकि देश में उर्वरक की अधिक आवश्यकता है, इस कारखाने की उत्पादन क्षमता कम हो गई है और दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मान्यवर आपको विदित है है कि यह कारखाना उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अनेक जिले पटेल आयोग के आधार पर पिछड़े हुए हैं जिन का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु उक्त कारखाने की वर्तमान स्थिति को देखने से प्रतीत हो रहा है कि यदि शीघ्र ही इसके नवीनीकरण के लिए कदम नहीं उठाया गया, तो पूर्वांचल का काफी नुक्सान हो जायेगा। इस का कारण यह है कि यदि शीघ्र ही उस कारखाने का नवीनीकरण न किया गया, तो उसके लिए जो भूमि ली गई है और उस पर जो खर्च किया गया है, वह सब बेकार हो जायेगा। फलस्वरूप उत्पादन में बढ़ोतरी और बेकारी की समस्या जटिल हो जायेगी जैसी कि सिन्दरी कारखाने की हालत हुई है। नया कारखाना लगाने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी की व्यवस्था नय तरीके से करनी पड़ती है। लेकिन यह कारखाना कार्य रूप में हैं केवल पुराने उपकरणों को ही ठीक करना है। इसलिए कम पूंजी में ही इसे नया रूप प्रदान किया जा सकता है।

अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अविलम्ब इसके नवीनीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS AMENDMENT BILL-*Contd.*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up further consideration of the following Motion moved by Shri Bhishma Narain Singh on the 3rd December, 1980, namely:—

"That the Bill to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, be taken into consideration."

Shri Suryanayan Singh of the CPI was speaking and he had already taken 6 minutes. He will continue his speech.

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : सभापति महोदय, पब्लिक प्रेमिसिस (एक्शन आफ अनएथाराइज्ड आकुपेंट्स) एमेन्डमेंट बिल के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कल मैंने कहा था कि सरकारी प्रतिष्ठानों में जहां हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं क्वार्टरों का बहुत अभाव है । इस लिए बढ़े हुए मकान भाड़े की वजह से उन लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अगर नये क्वार्टर बनते हैं, तो होड़ लग जाती है कि किस तरह उन पर कब्जा किया जाये । जब हम सरकारी स्थान या मकान को खाली कराने पर विचार करते हैं, तब इस सवाल पर भी विचार करना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में अनएथाराइज्ड आकुपेशन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है।

मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योगों की और सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा । इसके साथ ही वैकेशन की कार्यवाही रीजनएबल आपरचुनिटी दिये बगैर जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्थिति के बिगड़ जाने का खतरा उत्पन्न हो सकता है ।

एक माननीय सदस्य कल चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली और बिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में हजारों की संख्या में लोग फुटपाथ पर फल और सब्जी वगैरह बेचने का काम करते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा स्थान तब नहीं किया गया है, जहां उन्हें बटोर कर कोई रोजगार चलाने की व्यवस्था हो । ऐसे लोगों को हटा कर फुटपाथ को साफ़ करवाने के बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं । लेकिन लाखों की संख्या में जो लोग भूख से अपनी जिन्दगी की हिफ़ाजत करने के लिए और अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए कम पैसे से छोटा-मोटा रोजगार करते हैं, यदि उनका रोजगार छिन गया, तो उनकी क्या हालत होगी ? मेरा सुझाव है कि जो लोग सरकार की जमीन पर झुग्गी-झोंपड़ी आदि बनाने के लिए मजबूर हो गये हैं, उनको वहां से हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि सरकार को किसी बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी तरह फुटपाथ पर रोजगार करने वाले जरीब लोगों के रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही उन्हें वहां से हटाने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए ।

मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक और गभीरतापूर्वक विचार करेगी और शीघ्रातिशीघ्र ऐसे कदम उठायेगी, जिससे लाखों लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : सभापति महोदय, कोई भी विधेयक या कानून बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई मंशा होती है, कोई उद्देश्य होता है । यह जो पब्लिक प्रेमिजेज एक्विजेशन आफ अनएथोराइज्ड आक्यूपेंट्स ऐक्ट 1971 में बनाया गया, जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया, बाद में देखा गया कि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है । उद्देश्य यह था कि सरकारी जमीनों के ऊपर जो अनधिकृत रूप से लोग दखल और कब्जा कर लेते हैं, उस के बाद वे वहां से हटते नहीं हैं और सरकार को उस में काफी घाटा लगता है । इस लिये उन्हें हटाया जाय । नोटिस जारी किया जाता है लेकिन बेदखली प्रक्रिया में काफी विलम्ब होता है । तब सरकार ने यह सोचा कि इसमें संशोधन करना आवश्यक है । इसी उद्देश्य से मंत्री महोदय ने इस विधेयक को उपस्थापित किया है और उसका मैं समर्थन करती हूं ।

[श्रीमती कृष्णा साही]

मेरा यह कहना है कि सरकार की यह मंशा कभी नहीं रहती है कि गरीब लोगों को स्थान न मिले या उन के रहने की व्यवस्था न हो । सरकार के सामने बहुत सारी योजनाए हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी हाउसिंग का प्रोग्राम है, हडको है और चीजें हैं जिस से गरीब लोगों के रिहायश की व्यवस्था की जाती है, उन के बसने बसाने में हर तरह की मदद की जाती है । लेकिन लोगों की एक यह प्रवृत्ति हो जाती है लैंड ग्रैब करने की, लोग समझते हैं कि सरकार की जमीन है, माले मुफ्त, दिले बेरहम । पहले क्या होता है, आप ने भी देखा होगा और हम लोगों ने पटना में भी देखा है, स्टेशन के सामने, अस्पतालों के सामने जो जमीनें ऐसी रहती हैं उस के ऊपर पहले वह यह कहते हैं कि थोड़ी सी दूकान खोलने के लिए दे दीजिए या रहने के लिए दे दीजिए । उस के बाद झुग्गी झोंपड़ी बन जाती है और कहते हैं कि गरीब हैं । उन के लिए व्यवस्था भी की जाती है लेकिन वे दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं, वहीं पर रहते हैं । उस के बाद कुछ ऐसा होता है कि उन गरीब लोगों का दादागीरी करने वालों के द्वारा कुछ एक्सप्लायटेशन भी होता है । कुछ लोग उस का पैसा उनसे वसूल कर के अपना फायदा उठाते हैं । सरकार को उस से फायदा नहीं होता है ।

यह जो विधेयक उपस्थापित हुआ था राज्य सभा में, उस के बाद से यह देखा गया कि यह ज्यादा कारगर नहीं हो सका । इस में तीन बातें होती हैं । एक तो जहां तहां लोग जमीन दखल करते हैं, क्राइम बढ़ते हैं और अनप्लान्ड टाउन का ग्रोथ होता है जिस की कोई प्लानिंग नहीं होती है । तीसरे, गरीब लोगों का एक्सप्लायटेशन होता है । इन तीन बातों को रोकने के लिए यह विधेयक बहुत माकूल है । यह सोचा गया कि छोटे छोटे टुकड़ों में इस को पास न कर के एक काम्प्रीहेंसिव बिल इसका संशोधन करते हुए लाया जाय । जो सरकारी जमीन खाली रहती है उस में सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए दूकानदारों को भी बसाया जाता है, गरीब लोगों को भी जमीन दी जाती है । इस को प्लान्ड ढंग से करने के लिए इस विधेयक को पास करना आवश्यक है । टाउन प्लानिंग में इस से सहायता मिलेगी और एक्सप्लायटेशन और क्राइम भी रोका जा सकेगा ।

लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हू मंत्री महोदय से कि जो जमीन सरकार एक्वायर करती है, बहुत दिनों तक उस जमीन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए । खाली जमीन पड़ी रहती है तो उस में लोग इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं । समाज में जो असामाजिक तत्व होते हैंजवह जा कर उस के बैठ जाते हैं । तो जो यो नाएं सरकार पर हों उन योजनाओं को जमीन एक्वायर करने के बाद शीघ्र पूरा करना चाहिए ।

हम जब किसी के सामने कोई एग्ज़ाम्पल रखते हैं तो पहले हम को वह स्वयं करना चाहिए । जो भूतपूर्व बड़े बड़े एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिलर हैं या एम पीज़ हैं, मिनिस्टर्स वे लोग भी जो सरकारी मकानों में आ कर रह रहे हैं उन को भी मंत्री महोदय को या सरकार को देखना चाहिए । जब उन को उस में रहने का हक नहीं है तो वह उस में नहीं रहें । जब हम इस उदाहरण को पेश करेंगे तभी दुनिया के सामने इस चीज को रख सकेंगे । मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं इसलिए कि 1971 का जो ऐक्ट है उस को प्रभावकारी बनाने के लिए इसे लाना आवश्यक है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देती हूं ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (CALCUTTA-SOUTH) : Mr. Chairman, Sir, the Amending Bill which has been introduced by the Hon. Minister appears to be a very innocent one

and I think no right thinking man of the country can go against the spirit of the Bill because we do not want that there should be unauthorised occupation of Government land. But then I would like to suggest that there are other problems which are related to this problem. Now, what are those problems ?

The first one is that in our country there are millions of people who have no home and hearths. Even inside the cities we will find destitutes and people who are helpless. You is will find that in cold night the mother sleeping in the open and trying to protect her children. In my State in West Bengal, there are millions of refugees who once after having set up their hearth and home and haing some source of income were compelled to leave and take refuge there. Even today there are thousands of people who have occupied land either of the State Government or of the Central Government in the towns illegally, and unauthorisedly, but how are you going to solve this problem ? It is a human problem because our own countrymen are involved. We would very much like that this unjustified and unauthorised occupation should be stopped, but at the same time, it is the moral duty of the Government to find alternative accommodation for them. There may be some unscrupulous persons who take advantage of the misery of the people as an hon. Member was telling, but that is the insignificant part of the story. The real story is this. Hundreds and thousands of our countrymen are compelled to build some sort of home and hearth wherever they find some open land and they lead a very hard life. We must take pity on them and we must think about them seriously.

In the amending Bill, there are certain provisions of summary eviction. The amending Bill provides that a person who is going to be evicted will have no right to be heard even. But why this ? We are dealing with our own countrymen. This type of arbitrary power may be used in such a way that the people who have some sort of home and shelter would be driven out in the streets and that would lead to other problems. We have seen how unimaginative and mechanical application of removal of unauthorised persons led to a political problem and to the sufferings of thousands of people in our country during the period of emergency for which even the present Govenment had to say that they committed a mistake, and they should have been more tolerant, more imaginative and, their duty was to find out alternative accommodation for them.

I do not question the sincerity of your purpose, but I would humbly submit that before evicting persons, when the Government is convinced by circumstantial evidence or by documents, that these people really need shelter, before removing them, you must arrange alternative accommodation for them and only then remove them. I would particularly like to draw the pointed attention of the Government to the plight of thousands of refugees in West Bengal. The State Government has demanded Rs. 500 crores and said that they would try to find accommodation for them. In my constituency, there are many refugee colonies. I would very much like our Minister to go there and see how even after 33 years of independence, these people are living. No shelter, no water and even the Democle's sword was hanging on their heads. Any day they may be evicted. I request that you can now see this aspect of the problem, and you respond to the demand of the West Bengal Government, that you provide some money for the rehabilitation of the refugees and for the regularisation of the squatter colonies, also it is the duty of the Government to see that loans are provided so that they can have something as a shelter and they can live as citizens of our country.

Sir, I would again request our Hon. Minister not to evict a single family which has no accommodation or no shelter. Mechanical, legalistic approach is not going to solve the problem but will create more problems and, I urge upon you kindly to concede the demand I have put forward and to take a very humane approach to the whole problem.

With these words, I thank the Minister because of patient hearing. he was laughing when I was saying and I am sure that I have been able to convince him.

AN HON. MEMBER : Have you forgotten the Chairman ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, you are always convinced. You are very reasonable.

SHRI XAVIER ARAKAL (ERNAKULAM) : I also join with the opinion expressed by the Hon. Shri Chakraborty with regard to the problems and the attempt to provide shelter to the millions. Sir, if we go back to the history of this Act, we find that Act 32 of 1958 was held *ultravires* and discriminatory to the constitutional provisions and it was struck down by the Supreme Court in 1967.

Thereafter, Sir, a fresh Bill was introduced, Bill No. 89 of 71 in 1971. Going through the proceedings of that time,

[Shri Xavier Arakal]

I found that many of the opinions expressed even today were expressed at that time. For example, Shri Veerendra Dutta objected to the summary eviction of these tenants in Clause 4 of 1971 Bill and he strongly was asked for alternative accommodation and shelter for them. So also, Mr. D.N. Tiwari asked about the difficulties faced in our country for shelter. Again a remark was passed in 1971 in those proceedings, Sir, that many of the ex-Government officers and ex-MPs are still residing.

Now, Sir, going through the statement of objects and reasons, I find in paragraph 2 that "considerable difficulties have been experienced by these organisations" in evicting unauthorised occupants from their premises. Therefore it is proposed to amend the Act so as to cover persons belonging to such organisations.

May I ask the Hon. Minister what are those difficulties ? How many are being affected by it ? Why is it so ? It is silent.

But, Sir, another point which I like to bring to your notice is that more than six categories are mentioned here who will have the power to evict. I am referring to clause 3 in relation to the Union Territory of Delhi and the Municipal Corporation of Delhi. What about other Union Territories ? Did they not have this problem of eviction ? I want to bring to the notice of this House that many of these Bills were drafted with many omissions. In this context, you kindly see paragraph 4 on page 9 of this Bill. It says, "It is also proposed to avail of this opportunity to amend section 18 of the Act suitably so as to bring the rule-laying formula in sub-section (3) thereof into conformity with the formula....." I have quite often expressed my personal views that any rule which is going to be brought out should be brought forward in this House in a draft form so that the House should have an opportunity to scrutinise the draft rule, because many of these problems stem from these rules with the result that many of the poor people are affected seriously. I will repeat in my speeches that a draft Bill should be brought forward in this House.

MR. CHAIRMAN : But nobody has listened to you ; it was missed.

SHRI XAVIER ARAKAL : In the next Bill, I am going to say about this again. In relation to this, how are you going to face the problems of other Union Territories? Have the government contemplated on this issue also ?

I really congratulate the hon. Minister for bringing the major Port Trust area under this Bill. Section 130 of that Act is very limited. My proposition is that all the major port areas of our nation should be declared as Union Territories to have a direct control of police power and the administrative power over those areas. This is a very vital part of our nation. There should be some centralised administration and supervision over those areas. If it is not done, then the problems over there in most of the major port areas will be further aggravated. That is my suggestion.

17.00 hrs.

Going through these amendments, I do not see any clause referring to those officers who connive with these unauthorised people to stay there. Many of these unauthorised occupants are allowed entry by quite a few officers. I do not say about the category of the officers, but there are quite a number of them. We should have a provision to penalise them equally. I have a little bit knowledge of the law. One clause is drafted very miserably. I will refer to that clause in paragraph 3(b) on page 9 of this Bill. It says,".....eliminating personal hearing after cause is shown by an unauthorised occupant....." Now, I will refer to clause 5B(1) on page 4. It says, "Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person concerned has been given, by means of a notice served in the prescribed manner, a reasonable opportunity of showing cause why such order should not be made." This term we have exhaustively discussed in this House. A reasonable opportunity should be given to those who will be affected by an order. If a notice is served, according to this clause, how that notice is served and when that notice is served are things on which this Bill is silent. Suppose an occupant is away for seven days. This prescribes seven days. He comes back after ten days or eight days. (An Hon. Member : He is out). Not only out ; it says his house will be demolished ; there will not be anything. Let us imagine such a situation. The wording is a serious matter ; it violates natural justice and the rule of law. Section 18 was there and it barred the jurisdiction of civil courts ; it was exhaustively discussed here. I went through the proceedings to see whether we are right in denying the legal right to be heard to a person who is affected seriously. One's property is as important as other essential items of life. The Constitution has provided sufficient protection but this wording takes it off. Though I agree with the proposition in principle, with

the amending Bill, the points I have raised ought to be considered properly because this will be on the statute-book for ever and will effect millions of people, refugees and other people. It will have far reachin consequences. Eliminating personal hearing after cause is shown by an unauthrised occupant is a serious matter. Lakhs are without shelter. Where will they go ? They have a family, four or five dependents. If it is an ex-M.P. or an officer of the government, we can understand it ; he may have the means. But what about ordinary people? That is where I disagree. We should have proper protection to those who deserve it. Another thing is, a person who has been living there for many years is put on par with a person who came in yesterday ; no tenure is mentioned there. This Bill is drafted in such a way that it is going to have far reaching consequences affecting lakhs of people; that is why I stand up to bring to the notice of the hon. Members the problems inherent in this Bill and they are to be tackled in a humane way, legally and properly. Alternative shelter must be given to those who deserve. With these words I support the Bill.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आदरणीय सभापति जी हमारे जो पार्लियामेंटरी एफेयर्स मिनिस्टर हैं, जिन में मानवता कूट कूट कर भरी है, वे अगर इस बिल को थोड़ा सा पढ़ लिये होते, तो अच्छा होता । इस बिल के बारे में विस्तार से तो मैं बाद में कहूंगा । लेकिन मैं सब से पहले यही कहता हूं कि जरा इस बिल को आप देखिये क्योंकि आप भी बड़े वकील है । इस की धारा 4 में जो लिखा है उस को पढ़ कर आप को आश्चर्य होगा । इस धारा में यह लिखा हुआ है :

I am referring to Clause 4 on page 3, sub clause (b). What is that? If you want to serve a notice upon a person who is occupying unauthorisedly, what is that notice?

4. (b) "require all persons concerned, that is to say, all persons who are, or may be, in occupation of , or claim interest in, the public premises

(i) to show cause if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice, being a date not earlier than seven days from the date of issue thereof,

A notice is issued and it is served on the seventh day. What will happen to thatsperson ? So please put one word: 'from hedate of the receipt of the notice'. Kindly, for Heaven's sake, do that. I don't say that because Daga speaks every day, and he wants to participate in every debate. But kindly try to understand it. (*Interruptions*) You issue a notice on the Ist July and notice is served on the 7th July. You say it is seventh. Now what has happened? The court will at once conclude that the notice must at least give five or six days notice to the person who has been occupying. You see the date of issue of notice. You know, how are the process servers are doing their job? It will go on the seventh day, and the notice will be served then. So, these words should be written.

Then I will talk in general. That is to say, seven days from the date of issue thereof. Ask your officer again to reconstruct that. It should be, not 'from date of issue thereof' but 'from the date of receipt'.

Now, another very interesting thing. See this clause on 5A on page4. Section 5A. (1) says—

"5A. (1) No person shall—

(a) erect or place or raise any building or other structure or fixture,

(b) display or spread any goods,

(c) bring or keep any cattle or other animal,....."

Now, one man who has got a dog and he brings that animal, he has to seek the permission. My goodness, if I just have a cat, I will have to seek the permission from our Minister or from the Ministry that I want to bring a cat. So, he says no person shall bring or keep any cattle or other animal. So, if I bring a pet dog, I will have to seek the permission. What is this law? (*Interruptions*)

You are not supposed to bring a dog, if you have a pet dog. What is this? I don't think that I will be asked to.....No, No. (*Interruptions*)

Yes, all right. (*Interruptions*)

This cat, dog, then another thing. Then, what is the third thing?

On the same day you are asking the person to come with evidence. Very good. He comes with evidence. In clause 4 you say:

"to appear before the Estate Officer on the date specified in the notice with the evidence which they intend to produce in support of the cause shown and also for personal hearing, if such hearing is desired...."

Suppose a person is illiterate. He comes before the officer who is sitting in a big building in a big chair. Then the poor man will

[श्री मूल चन्द डागा]

not be able to speak out anything and he will be thrown out. You should never use such words like "if such hearing is desired.". Nothing should be decided unless he is heard. Why do you blame the Minister? It is the bureaucrats who have brought this thing. It is said here "if such a hearing is desired",

आप कहते हैं क्या बात है। वह कहता है कि मैंने कमरा बना लिया है। वह कहता है चले जाओ बाहर। वह जानता ही नहीं है कि मुझे कुछ कहने की इजाजत है या नहीं। आप कहते हैं कि वह इच्छा जाहिर करे कि श्रीमान को मैं सुनाना चाहता हूं तब तो उसको सुना जाएगा, नहीं तो उसको कह दिया जाएगा कि बाहर जाओ। अब उसको पता ही नहीं होता है कि उसको यह भी राइट है कि वह इच्छा जाहिर करे कि उसको सुना भी जा सकता है। होता है यह कि उस कमरे में आ कर जो उसको सुनाना होता है उसको भी वह भूल जाता है।

बात असल में यह है कि यह बिल सेठी जी का बनाया हुआ है और आपकी गोद में यह आ गया है। इस लड़के को आपने संभाला है

सभापति महोदय : लड़का कहां से आ गया ?

श्री मूल चन्द डागा : गोद आया हुआ है।

इसमें आप नोटिस की बात भी कहते हैं। नोटिस कैसे सर्व किया जाएगा ? आपने कहा है कि मकान पर चसपां कर दिया जाएगा। वह कर दिया गया। लेकिन फिर आप क्यों गोद लेते हैं दूसरी बात ? आप क्लाज पांच में आगे चल कर कहते है :

"5B. (1) Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person concerned has been given, by means of a notice served in the prescribed manner....."

What is that prescribed manner? If it is fixed on the house, that will be tantamount to a proper service.

आपका जो ला है उसको मेहरबानी करके आप देखें। प्रैसकाइब करने की बात भी आप एक जगह कह रहे हैं। आप नोटिस को सर्व करने की बात कहते हैं। आप कहते हैं कि रूल आप बनाएंगे इसके बारे में। जब रूल बनाएंगे तब मालूम होगा कि कैसे नोटिस सर्व होगा।

अब आप अपील की बात को देखें। समय आप घटाते चले जा रहे हैं। पार्लियामेंट जिस तेजी से चलती है वह भी आपके सामने है। इस एक्ट में पंद्रह दिन का जो समय था उसको भी आपने बारह दिन कर दिया है। समय को आप घटाते चले जा रहे हैं। सब जगह आपने समय घटा दिया है।

[MR. DEPUTY-SPEAKER IN THE CHAIR]

मैं यह कहता हूं कि 14 दिन का नोटिस ही दिया जाये इसका क्या परपज है? क्या आपका काम 14 दिन में ही हो जायेगा ? जहां आपने 15 दिन रखे है वहां 12 दिन रख दिये।

MR DEPUTY-SPEAKER: Please wind up because the Bill is to be competed today.

श्री मूल चन्द डागा : आपको इस बिल को जल्दी पारित करा देना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should know that the maximum 'egislative business we can do only in the Winter Session.

श्री मूल चन्द डागा : मैं चाहता हूं कि आप इस बिल को एक दो दिन के लिये देख लें और इस बिल में जो 12 दिन और 10 दिन का समय अपील करने का देते हैं यह पासिबल नहीं है। मान लीजिये, आपका जो मकसद है अपील कोर्ट में जाने का, वहां पर कितना समय नियमित कर दिया है और अपील में जाने का क्या तरीका है और जाने के बादक्या उसको कोर्ट-फीस देनी पड़ेगी ?

मेरी अपनी पूंजी ले ली, गाय भैंस, सामान सब बेच दिया, कितना उसका अपील में पैसा लगेगा ? एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में आज 2 करोड़ 50 लाख आदमी बिना घर के हैं, यह आपके आंकड़े कहते हैं

आज हालत यह है कि पक्षी अपना घोंसला बना सकता है, लेकिन आदमी को अधिकार नहीं है जमीन पर रहने का क्योंकि अरबन सीलिंग एक्ट इन्होंने लागू नहीं किया । एक आदमी एक एकड़ की जमीन पर रह सकता है, दूसरे को अपने रहने का घोसला बनाने का भी अधिकार नहीं है । यह समाजवाद है, यह लोकतंत्र है ।

एक आदमी यहां मजबूरी में, लाचारी के साथ गन्दी नाली पर अपना झोंपड़ा, मकान बनाकर बैठता है, वह क्यों बैठता है, यह प्राबलम किसने खड़ी की है ? यह हमने की है, लाखों करोड़ों लोग गांव से बेकारी और अपनी भूख को मिटाने के लिये यहां आते हैं और आने के बाद अपना मकान खड़ा करते हैं । जब उनको हटाने की कार्यवाही होती है तो उनको आ टरनेटिव जगह देनी चाहिये । लेकिन यह नहीं होता है । इसमें लिखा है कि जो चाहो, पुलिस फोर्स काम में लेकर उसको हटा दो । इस तरह से इस एक्ट को पारित करने का मतलब ठीक है, एक तरफ तो 20–सूत्री प्रोग्राम लाते हैं, करोड़ों लोगों को जमीन देना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं दूसरी तरफ ऐसा होता है ।

आप इसको सोचिये कि इस कानून को लागू करने से पहले जो आदमी कई वर्षों से टिका हुआ है, रहता है, उसको आल्टरनेटिव जगह दे दें या उसे रैगुलराइज करने का तरीका निकालें, नहीं तो यह होगा कि जो बड़े-बड़े लोग हैं––

Mr. Deputy-Speaker, if you could have applied your mind to this Bill, you must have appreciated it much better than I because you are much more knowledgeable.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डागा साहब की तरह काननदान तो नहीं हूं, लेकिन एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता की हैसियत से मैं व्यवहार में जो कुछ देखता हूं, उसी की तरफ़ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । इस सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक को पास कर दिया जायेगा, यह मैं जानता हूं, लेकिन इसको अमल में लाने में जो कठिनाई होती है या हो रही है, उसकी तरफ़ मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं ।

सरकार का नियम एक होना चाहिए, लेकिन उसके द्वारा एक मापदंड नहीं अपनाया जाता है । दिल्ली का ही उदाहरण लीजिए । मुझे ऐसी ख़बर है कि अगर कोई एल०डी०सी० रिटायर होता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो उस को फ़ौरन सरकारी मकान से हटा दिया जाता है । लेकिन अगर कोई बड़ी तन्ख्वाह पाने वाले अधिकारी रिटायर होते हैं, तो सरकार उन को मामूली किराये पर––400 रुपये के किराये पर––बड़े बड़े मकानों में रहने देती है और उन्हें एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल तक नहीं निकालती है । इसी लिये मैंने कहा है कि सरकार के यहां दो स्टेंडर्ड हैं ।

यह मसला दिल्ली में बड़े पैमाने पर है । मेरी जानकारी है कि लोक सभा के जो रिटायर हुए अफ़सर हैं, वे इसी तरह से मकानों में बैठे हुए हैं । और जगहों में भी ऐसे लोग हैं । गोल मार्केट और गोल डाकख़ाना एरिया में ये लोग मकानों पर कब्ज़ा किये हुए हैं और दूसरों से ज्यादा पैसा ले कर धन कमाते हैं । आपको इन बातों का पता लगाना चाहिए । अगर यह बात सही हो, तो आपको फ़ौरन कार्यवाही करनी चाहिए । साधारण कर्मचारियों को तो आप अपने नियम के मुताबिक हटा देते हैं, बड़ों को कैसे रहने देते हैं ?

मैं एक साधारण कर्मचारी का उदाहरण देता हूं । इत्तिफाक से वह मेरे ही क्षेत्र का कर्मचारी है । उसका नाम राम बहादुर है और वह चपरासी का काम करता है आर्कियालाजिकल डिपार्टमेंट में । एस्टेट डिपार्टमेंट ने उसको एक मकान दिया । बाद में एस्टेट डिपार्टमेंट ने समझा कि उसको ग़लत ढंग से मकान दिया गया है, क्योंकि वह उसके लिए

[श्री रामावतार शास्त्री]

हकदार नहीं है । उसको वहां से हटा दिया । वह तो ठीक किया, लेकिन जब तक वह मकान में रहा, तब तक के लिए उस ग़रीब चपरासी से पीनल रेंट वसूल किया गया । ग़लती उसकी नहीं है । उसे आवंटन करने की ग़लती किसी अधिकारी ने की और सज़ा उस बेचारे को मिली । मैंने यह उदाहरण दिया है, क्योंकि वह बेचारा मेरे पास रोज़ आता है । मैं एस्टेट डिपार्टमेंट को टेलीफ़ोन खटखटाता रहता हूं । मैंने आवेदनपत्र पर भी लिख दिया कि यह अन्याय कैसे हो रहा है ।

ये बातें दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे हो रही हैं । सरकार ग़रीबों को उजाड़ कर मीलों दूर भेज देती है और उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है । उन्हें सरकारी ज़मीनों से हटाने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जनतंत्र में सब को खाना, कपड़ा और मकान पाने का अधिकार है । सरकार उन्हें मकान दे दे और अपनी ज़मीन ख़ाली करा ले, किसी को विरोध नहीं होगा, लेकिन सरकार ऐसा न करके उन बेचारों को दर-दर का भिखारी बना देती है ।

मैं पटना की भी एक मिसाल देना चाहता हूं । पटना में एक कौशलनगर है, जिसका नाम बिहार के एक पिछले राज्यपाल के नाम पर रखा गया है । वे भारत सरकार के मकान नहीं हैं, बिहार सरकार के हैं । उस कालोनी को बेघरों को घर देने के नाम पर बनाया गया है । जो ग़रीब हरिजन उन मकानों के अधिकारी हैं, उनको तो मकान मिलता नहीं है । अनधिकृत लोग वहां पर बैठे हुए हैं । सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें आपके कुछ राजनैतिक समर्थक भी हैं—हमारे समर्थक भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं । अगर किसी ने ग़लत ढंग से किसी मकान पर कब्ज़ा कर लिया है, तो उसको हटा देना चाहिए ।

दानापुर कैन्टूनमेंट एरिया में लोग 70, 80 और 100 बरसों से रहते हैं, लेकिन उन मकानों के सम्बन्ध में उनके नाम नहीं लिखे जाते हैं । सरकार कहती है कि वह तो हमारी सम्पत्ति है । जब पुश्त दर पुश्त से लोग उस में रह रहे हैं तो आप की सम्पत्ति कैसे हुई ? आप उन का नाम नहीं चढ़ाते, अगर वह कोई आलटरेशन करना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं तो उसकी इजाजत नहीं देते । तो यह कैसी बात है ? यह बात उचित नहीं लगती । इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए ।

सामर्थ्यवान लोग, भूतपूर्व विधायक और ऐसे लोग मंत्री जी जानते हैं पटना में सरकारी मकानों पर कब्ज़ा आज से नहीं वर्षों से किए बैठे हैं । छग्गू बाग की तरफ आप चले जाइए, पता चल जायगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा । न वह एम० एल० ए० हैं, न एम० एल० सी० हैं, न कुछ हैं लेकिन कब्ज़ा किए बैठे हैं । ऐसे कई उदाहरण आप को मिल जाएंगे । तो उन के लिए इस तरह की व्यवस्था और गरीब अगर कहीं सरकारी जमीन पर बैठा है तो उसको झट निकालने की व्यवस्था यह कहां तक उचित है ? बड़े-बड़े व्यापारी आप की जमीनों पर यहां बैठे हैं, अभी श्रीमती कृष्णा साही जी कह रही थीं, बड़े-बड़े लोग जो इस तरह मकानों में बैठे हैं उनको आप नहीं निकाल पाते और झुग्गी झोंपड़ी वाले को निकाल कर फेंक देते हैं । यह नहीं होना चाहिए । स्टैंडर्ड एक रखिए । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों में असंतोष होना स्वाभाविक है । इसीलिए यह समस्या हल नहीं होती । पटना में श्रीकृष्ण नगर में, श्रीकृष्णपुरी में चले जाइए, वहां आप पाएंगे बड़े-बड़े सामाजिक नेता और राजनैतिक नेता मकानों पर कब्ज़ा कर लिए और सरकार ने उन को दे दिया या नहीं दिया तब भी कब्ज़ा किए हुए हैं । यह क्या बात है ?

मेरा निवेदन है, दिल्ली हो, पटना हो, बम्बई हो या कलकत्ता हो, अगर यह आप का

कानून है तो इसको हृदयहीनता के साथ लागू मत कीजिए, सहृदयता के साथ लागू कीजिए और गरीब के ऊपर ध्यान दीजिए । जो धन्ना सेठ और बड़े-बड़े लोग हैं उन को जरूर बेरहमी के साथ निकालिए । यह करेंगे तब तो आप का कानून ठीक से कार्यान्वित हो सकेगा, नहीं तो तरह-तरह की दिक्कत होगी । लोग आन्दोलन करेंगे, ला ऐंड आर्डर का सवाल होगा, फिर आप को परेशानी होगी । यही मुझे आप से निवेदन करना था और एक तरह से दोस्ती की चेतावनी भी देनी थी कि इधर आप का ध्यान रहना चाहिए ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस विधेयक को लाने का जो उद्देश्य है वह अपने आप में एक अच्छा काम है। केन्द्रीय सरकार की बहुत सी भूमि पर, बहुत से मकानों पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है । एक बहुत लम्बा चौड़ा प्रोसीजर, एलाबोरेट प्रोसीजर होने के कारण कई दफा अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानकारी है कि एक संसद् सदस्य को एक मकान एलाट हुआ, उस मकान का कब्जा लेने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा । इसलिए इस बिल के उद्देश्य के बारे में दो राय नहीं हो सकती । एक नहीं अनेक लोग कानून के नाम पर इस तरह के अनधिकृत कब्जों को रखने की चेष्टा करते हैं और ज्यादातर एक बात और होती है, मैं शास्त्री जी की इस बात से सहमत हूं कि जो अखबार या बड़े-बड़े सरमायेदार लोग होते हैं वही इसका फायदा उठाते हैं, गरीब को तो इसका कोई फायदा उठाने का मौका भी नहीं मिलता, इसलिए जहां तक इस कानून का ताल्लुक है इस कानून के मकसद से मैं सहमति व्यक्त करता हूं ।

लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस मौके का फायदा उठाते हुए कि इस देश की हाउसिंग समस्या का समाधान करने के लिये मंत्री जी को कारगर कदम उठाना चाहिए । आज सब से बड़ा सवाल यह है कि इस देश के शहरों में गन्दी बस्तियां और स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं । खाली शहर की बात ही नहीं है, अब तो एक और नयी बात होने लगी है, दुर्भाग्य से हमारे नेशनल हाईवेज और दूसरे हाइवेज पर भी कच्ची दूकानें और झोपड़ियां बेतहाशा नये तरीके से अनधिकृत तरीके से बनती जा रही हैं । और वह गन्दगी का एक बहुत बुरा दृश्य उत्पन्न करते हैं । कृषि की जमीनों पर हजारों मकान अनधिकृत तरीके से बनते जा रहे हैं । कोआपरेटिव सोसायटीज के नाम पर खरीद-फरोख्त करके बहुत बड़ा काला धन पैदा किया जा रहा है। मेरी मान्यता है कि सरकार को उस काले धन पर अंकुश लगाने के लिए भी इस बात की जरुरत है कि जो कृषि की जमीन की खरीद-फरोख्त होती है, गरीब से वह जमीन ली जाती है, सस्ते दामों पर ली जाती है और उसके बाद उस जमीन के प्लाट काट कर लाखों रुपया कमाया जा रहा है और सरकार इस बारे में कान में तेल डाल कर सो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए । मैं जानता हूं मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह स्टेट्स का सवाल है, यह सही है, लेकिन इस समस्या को हल करने के लिये उनको राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह से जो कृषि की जमीनों पर सड़कों के सहारे अनधिकृत तौर पर कब्जे होते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, दूकानें बनती जा रही हैं और करोड़ों रुपया होशियार लोग कमा

[श्री नवल किशोर शर्मा]

रहे हैं, ब्लैक-मनी अर्जित होता जा रहा है, उसको रोका जाए । इस सम्बन्ध में कारगर कदम उठाने के लिए हम मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका समाधान होना ही चाहिए ।

साथ ही साथ आपने शहरों के लिए तो हुडको या दूसरे माध्यमों से मकान बनाने के बारे में सोचा है, विचारा है, लेकिन क्या आपने गांवों और कस्बों के गरीब लोगों के ऊपर भी कोई ध्यान दिया है ? मैं मंत्री जी से खास तौर से कहना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने गरीबों को जमीने तो दीं थीं, उन जमीनों पर कुछ लोगों को कब्जा मिला और कुछ को नहीं मिला, इस बात को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन उनको मकान बनाने के लिए कुछ असिस्टेंटस का प्रावधान कीजिएगा या नहीं ? क्योंकि हर आदमी इस देश में इतनी बात का तो अधिकारी है कि वह सर्दी में और गर्मी में एक छप्पर के नीचे अपना सिर ढक सके । इसलिए इस बारे में आपको सोचना-विचारना चाहिए ।

साथ ही इस समस्या के समाधान के लिए मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, डागाजी ने आंकड़े देकर यह सिद्ध किया और बताया कि इस देश में करोड़ों लोग बेघर हैं और उन लोगों की तादाद घटने के बजाए बढ़ती जा रही है । इसके पीछे सारी समस्या यह है कि आबादी की बढ़ोत्तरी के साथ-साथ यह समस्या भी बढ़ती जा रही है। मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि बेघर वालों के लिए घर की समस्या का समाधान करने के लिए कोई निश्चित राष्ट्रीय नीति बनाकर कम से कम छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ समाधान निकाला जाना चाहिए कि जितने बेघर लोग हैं उनकी तादाद अगर घटे नहीं तो बढ़े भी नहीं । मैं जानता हूं इस तादाद का घटाना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन इस तादाद को आप इस लेबिल पर भी रख सकेंगे तो मेरी ऐसी मान्यता है कि आप शायद एक बड़ा काम कर सकेंगे ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए और एक बात यह कहते हुए कि हम विधेयक तो पास कर देते हैं लेकिन उस पर अमल कितना होता है यह भी देखने की जरूरत होती है, मैं इसका समर्थन करता हूं । ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि कुछ बड़े निहित स्वार्थी लोगों ने बरसों से अनधिकृत कब्जे कायम कर रखे हैं । क्या मंत्री जी कोई ऐसा आश्वासन देंगे कि एक निश्चित अवधि के अन्दर ऐस जो अनधिकृत कब्जे हैं उनको वे दूर कर सकेंगे, हटा सकेंगे । हम पावर आपको दे रहे हैं, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल भी आप करेंगे। या नहीं ? इसलिए इस बारे में मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मेरी मान्यता है कि मूल अधिनियम में जो अभाव थे उन को दूर करने के लिये यह सफल प्रयास है । मूल अधिनियम में "प्रेमिसिज" की व्याख्या बड़ी सीमित थी और अब माननीय मंत्री जी ने "प्रेमिसिज" की व्याख्या को स्पष्ट किया है तथा उस में सरकारी भवनों और सरकारी सम्पदाओं को शामिल किया है जिन के बारे में सरकारी नियन्त्रण होते हुए भी सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती थी । इस

विधेयक के द्वारा अब सरकार को वह शक्ति मिलेगी, सरकार में क्षमता आयेगी कि वह उस के बारे में आगे कार्यवाही कर सके । जैसे पोर्ट ट्रस्ट के बारे में था, यूनीवर्सिटी जैसी आटोनामस बाडीज के बारे में था, अन्य सरकारी संस्थाओं के बारे में था, पहले उन के भवनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस मौजूदा अधिनियम से वह अधिकार अब सरकार को मिल जायेगा ।

इस के साथ ही इस अधिनियम के द्वारा माननीय मंत्री जी ने जो सराहनीय कार्य किया है, वह यह है कि इस से पहले सरकारी भूमि, सरकारी भवन या सरकारी सम्पदा पर यदि किसी व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य कर लिया है, तो उस को रोकने के लिये मूल अधिनियम में सरकार को कोई अधिकार नहीं था और न उस निर्माण कार्य को तोड़ने या हटाने का या उस निर्माण कार्य के एवज में जो डेमेजेज हुए हैं उन को लागू करने का अधिकार था । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से नम्र शब्दों में एक निवेदन करना चाहूंगा– मुझे भय है कि यह अधिनियम किसी सक्षम न्यायालय में जाने के बाद–इस की धारा 4 स्ट्रक-डाउन न हो जाय । इस का कारण यह है कि किसी भी नियम का इन्टरप्रेटेशन आफ़ लाज करते समय फण्डामेंटल राइट्स में जो अधिकार एक नागरिक को मिले हुए हैं उन को दृष्टि में रखते हुए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि आप निर्णय देते हैं तो उस व्यक्ति को जब तक आप सूचना नहीं देंगे, तब तक उस के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते । यह कानून में सर्व-मान्य सिद्धांत है । इस की धारा 4 में आप ने कहा है कि यदि चाहें तो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई कर सकते हैं, वरना नहीं । इस के अनुसार नोटिस के तामील के लिये जो मौका दिया है, उस में व्यक्तिगत तामील होना लाजमी नहीं है—यह इस में बहुत बड़ी कमी है । न्यायालय में जा कर इस मुद्दे पर कभी भी आप को नीचा देखना पड़ सकता है, यह धारा स्ट्रक-डाउन हो सकती है । आप जानते हैं कि किसी सम्मन की तामील के लिये बहुत से मोड़ दिये हुए होते हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में 1976 में संशोधन कर के यह प्रावधान कर दिया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत तामील हो । यदि पोस्टल रजिस्टर्ड ए० डी० से भी भेज देंगे तो उसे तामील माना जायेगा । आप ऐसा संशोधन इस में भी क्यों नहीं करते हैं जिस से इस एक्ट को कानूनी तरीके से चुनौती न दी जा सके ।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस में पहले नोटिस का जो 10 दिन का समय था उस को 7 दिन कर दिया गया है, अपील में 15 दिन को घटा कर 12 दिन किया है और उस को निकालने के लिये पहले जो 30 दिन का अवसर था उस को कम कर के 15 दिन कर दिया है, मैं समझता हूं कि इस से कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है । अपील में तीन दिन घटाने से क्या फर्क पड़ेगा, इस को 15 दिन की बजाय 12 दिन क्यों कर रहे हैं, इस का कोई कारण नहीं दिया गया है । इसी तरह से नोटिस को 10 दिन के स्थान पर 7 दिन किया गया है, इसका भी कोई कारण नहीं दिया गया है मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से ग़ौर करे । एक तो व्यक्तिगत सर्विस के बारे में कि उस को नोटिस की तामील जरूर होनी चाहिये । यह बहुत लाजमी मुद्दा है, मैंने आज तक, 25 साल तक मुझे वकालत करते हुए हो गये, नहीं देखा कि किसी

[श्री राम सिंह यादव]

व्यक्ति के खिलाफ आप कोई निर्णय दें और तामील के लिये कोई प्रावधान ही न करें । यह तो ऐसा कानून हो जायेगा, जिस को किसी भी समय अदालत में चुनौती देने पर स्ट्रक-डाउन किया जा सकेगा ।

That may be struck down at any stage a any time. You should take special precau tion with reference to this Clause No. 4

इस के साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा—मैं मानता हूं कि इस में आप के सीमित अधिकार हैं, लेकिन इस के साथ-साथ यह भी देखना है कि इस में जो नियम आप बनाने जा रहे हैं और जिन के बारे में सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने यह अपेक्षा की है कि आप उन को पार्लियामेंट में रखेंगे और जैसे किसी अधिनियम के तहत नियम बनते हैं, वैसे ही बनायेंगे ।

मैं यह भी चाहूंगा कि जो नियम आप बनायें वे निश्चित हों । विशेष कर आवंटन के नाम पर आप ने अब तक जो नियम बनाये हैं वे बहुत शिथिल हैं । सरकारी सम्पदा और सरकारी भवनों के बारे में आवंटन के नियम निश्चित होने चाहियें । 28 नवम्बर के इण्डियन एक्सप्रेस में निकला है कि आप के बहुत से अफसर ऐसे हैं जिन को अच्छी तनख्वाह मिलती है, दिल्ली में या दिल्ली से बाहर उन के पास खुद के कई लाख के मकान हैं, जिस में वे रह सकते हैं, लेकिन वे उन में खुद न रह कर दूसरों को किरायों पर दे देते हैं और सरकारी मकान अपनी रिहाइश के लिये एलाट कराते हैं । इसी सम्बन्ध में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने कहा है—

"Originally, no restrictions were imposed on allotment of government accommodation to officers owning houses at or near stations of their posting. Rule of 'ineligibility in this regard was introduced on 1st February, 1950. It continued to be in force till May, 1966 when it was decided to withdraw this rule and the officers owning houses also became eligible for allotment of General Pool accommodation on payment of normal rent. On the basis of the recommendations of the National Council (JCM) a decision was taken by the Govt. and orders were issued in September, 1975 to the effect that Central Government employees owning houses at the places of their posting or within the local or adjoining municipal limits, would not be entitled to allotment of Govt. accommodation and those already in occupation of Government accommodation were required to vacate the same by the end of December, 1975, failing which, they were liable to be charged market rate of licence fee so long as the Govt. residence was retained by them.

"In the wake of implementation of this decision, many representations were received about the hardships that the house-owning officers were facing. The Government considered the difficulties faced by the various house-owning officers and decided that the then existing restrictions should be modified with effect from 1st June, 1977, making house-owning officers eligible for Government accommodation on normal terms, provided the income from the private house did not exceed Rs. 1,000/- p. m. ....."

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आप का जवाब है, इस के मुताबिक अब भी उन को छूट देते हैं । जो व्यक्ति एक हजार या दो हजार की रेंज का व्यक्ति है और जिस को एक हजार रुपया किराया आता है, उस के लिये आप कहते हैं कि आवंटन के नियमों के अनुसार उस को एलाटमेंट हो सकती है । इस का असर यह पड़ता है कि जो गरीब आदमी है, जिस के पास कोई दूसरा साधन नहीं है, उस को मकान नहीं मिलता । इन अफसरों को आप कन्सेशनल रेट पर जमीन एलाट करते हैं, उस के बाद मकान बनाने के लिये लोन देते हैं, लोन की रिकवरी इंस्टालमेंट में करते हैं, उस के बावजूद भी उस को

सरकारी मकान देते हैं । लेकिन गरीब आदमी है, बाहर से आ कर यदि उस को किसी तरह से नौकरी मिलती है तो एलिजिबिल होते हुए भी इन के कारण उस की एलिजिबिलिटी पीछे पड़ जाती है । नियम बनाते समय मैं चाहता हूं कि आप इस बात को भी धयान में रखें ।

हमारे संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज हैं उन में कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है, आप से कल्याणकारी राज्य स्थापित किये जाने की अपेक्षा की जाती है । हाउसिंग मंत्रालय में आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिस से ज्यादा से ज्यादा लोगों को मकान दे सकें । आप का महकमा मानवीय दृष्टिकोण को ले कर चलता है, "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" आप के महकमे का उद्देश्य है और हमारे दोनों मंत्री—सिंह साहब और आरिफ साहब—उस मानवीय दृष्टिकोण को अपने ध्यान में रखते हुए इस विधेयक पर विचार करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): I am grateful to the hon. Members, particularly those who partjcipated in the debate-Sarvashri Shamanna, Daga and Suryanarayan Singh, Shrimati Krishna Sahi, Shri Chakroborty, Shri Arakkal, Shri Ramavatar Shastri, Shri Nawal Kishore Sharma and Shri Ram Singh Yadav. I am extremely grateful to all of them. What I could understand from the valuable suggestions that they gave was that we have to have a humanitarian approach in solving the housing problem. This is correct. But this Bill, as a matter of fact—this Bill with which I have come before this august House—concerns eviction of those properties which are on government land, particularly Central Government land.

The Act of 1971 was already there and this is an enabling provision for which I have come to this august House. No doubt we are enlarging the definition of 'public premises' to cover major ports etc.. This will help to minimise the difficulties felt by them in removing unauthorised occupants from their premises. The additional powers conferred by this Bill on State Officers are mainly aimed at proper utilisation of perishable goods as well as realisation of arrears from the defaulters. This Bill also aims at reducing the delay experinced in completing the eviction process. With delay many evils take place and I do not want to go into them.

Shri Shamannaji raised to points—encroachment on public land in Bangalore City and the Cantonment. His second point was about the belatedness of the introduction of the amending Bill. In regard to the first point, it may be mentioned that the public Premises Eviction of Unauthorised Occupants Act cannot be applied to encroachment or other unauthorised occupation of or construction on land belonging to State governments. The Act can applied only to the public premises belonging to the Central Government and other bodies as defined in the Act. About his second point, we had a Review committee set up by the government and we have to go through in detail so that we may bring a comprehensive amendment. Thereofore, it took some time. Moreover, we had to consult the Law Ministry and other Ministries. As you know this was the usual procedure and this was the reason for delay and there was no other reason.

Shri Bhagat—though he is not present, Shri Suryanarayan Singh and Shri Chakravartyji supported the Bill and their suggestion I have noted. It is a very correct suggestion—that after eviction, what has to be done to those who are evicted. That is correct and you know that in reply to a supplementary question in this august House recently I had said that this government will always have a humanitarian approach in tackling such problems even though there is unauthorised occupation in any colony or area which has come up unauthorisedly. Unauthorised colonies are there, even in Delhi—the trans-Jamuna area and other areas, you know. In reply to a question I had said that this government will keep a humanitarian approach in solving this problem.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): Why not you first prepare the alternative accommodation and then evict ?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: You have seen that the Juggi-Jhopri removal scheme was implemented....

SHRI SAMAR MUKHERJEE: First built alternative accommodation and then remove them. Then nobody will object.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH : At that time, about 2 lakhs plots and tenements were allotted to Jhuggi-Jhopri dwellers upto March 1977. Recently also we have decided in principle to provide resettlement facilities to squatters in residential areas.

Recently we have also decided about this. This is a difficult problem. Mr. Daga and Mr. Shamanna, while speaking, also mentioned about the difficulty. That is correct.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: What about the man who is living there whose source of income you deprive of when you remove him from there ? He is deprived of his source of income and the family is bound to suffer. So, that should not be done.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Your suggestion is well taken. Therefore, I am trying that nobody is *suo motu* removed. This is a humanitarian problem. The Centre will see that as far as possible nobody is *suo motu* removed. This is a wrong thing. I want you all to accept the realistic decision that we have taken.

Shri Arakal raised some points. He had some doubt about this. This act won't operate in the union territories other than Delhi. It is not a fact; it will operate in all the union territories. The State Governments have their own rights to operate this. Shrimati Krishna Sahi suggested that there should be a human approach. There cannot be two opinions on this. We shall keep the human approach in mind while solving the problem.

Shri Shastri Ji pointed out about the discrimination between lowest and highest paid employees when evicting them after retirement. There are provisions in the allotment rules which are applicable to the employees—small or big. Shri Daga suggested about the time taken, this and that. A Committee had gone into details. Whatever experience we had in implementation of the original act, was felt necessary here also.

Therefore, I consider this Bill to be non-controversial and it has a wider support from every section of the House. Shri Ram Singh Yadav wanted enlargement of the definition of the Public Premises Act to include universities and other autonomous bodies.

SHRI RAM SINGH YADAV: That is there.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): What about the C.S.I.R. and other institutions ?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH : That is registered under the Societies Registration Act.

Once again, I thank the members who took keen interest in this Bill. I now request my friends Shri M. C. Daga and Shri Shamanna to withdraw their amendments. This Bill is not such a complicated measure as would require circulation to the States or reference to the Select Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is the usual demand of Shri M. C. Daga.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I commend the motion for acceptance of this august House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Shamanna, are you withdrawing your amendment ?

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): I am withdrawing it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment ?

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Daga, are you withdrawing your amendment No. 2 ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : Yes, Sir. I am withdrawing my amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment ?

Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put the motion for consideration of the House.

The Question is:

"That the Bill to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill. As there are no amendments to clauses 2 to 13, I shall put them together. The question is:

"That clauses 2 to 13 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 to 13 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17·56 hrs.

JUTE COMPANIES (NATIONALISATION) BILL.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up the next item on the agenda standing in the name of Shri Pranab Kumar Mukherjee.

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, with your permission I beg to move†:

> "That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertakings of the jute companies specified in the First Schedule with a view to securing the proper mangement of such undertakings so as to subserve the interests of the general public by ensuring the continued manufacture, production and distribution of articles made of jute, which are essential to the needs of the economy of the country and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Sir, it is known to the hon. Members that so far as jute is concerned it is a very important sector so far as the economy of the Eastern sector is concerned. Presently, more than 2·5 lakh people are employed in the jute industry. Apart from its importance as foreign exchange earner it has to cater the need of the domestic industry also. The present Bill proposes to nationalise five jute units which were taken over from thI period between 1977 onwards. Before they were taken over and placed under the mangement of the authorised representatives of the Government of India investigations under the Industrial Development and Regulation Act were conducted and in some cases the views of the High Court were also obtained. After these units have been taken over and are being managed it is found that it is necessary to provide adequate furds for the modernisation of these units. While providing the funds for modernisation it was found that money was to be injected from the financial institutions they pointed out that they were not in a position to invest fresh money because the net worth of these units was negligible and they suggested that government should provide adequate funds without interest so that the matching grant might come from the financial institutions and there could be a total package revival of these units.

18 hrs.

Now, the question before the government was if they were to invest fresh capital and provide interest-free loan naturally they would like to have total control. So far, the unit is taken over under IDR and therefore only management taken over it is not owned by government and it would not be wise for the government to invest money on something which is not owned by them.

If you permit me, Mr. Deputy Speaker, I can continue my observations tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, you can continue your speech next time.

18·01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, December 5, 1980/ Agrahayana 14, 1902 (Saka).

† Moved with the recommendation of the President.

GMGIPND—Job III—2777 LS—16-1-81—890